



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

पत्रांक : सम्बद्धता/9245
दिनांक: 05-12-2020

कार्यालय आदेश

सेवा में,

सचिव/अध्यक्ष,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय— संस्थान/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के चुनाव के सम्बन्ध में।

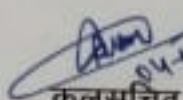
महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त भी संस्थान/महाविद्यालय का संचालन नियम विरुद्ध रूप से किया जा रहा है। जो कि घोर वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है।

तत्क्रम में मा० कुलपति महोदय के आदेशानुसार मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपने अपने संस्थान/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन यदि नहीं कराया है, तो दो माह में कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में संस्थान की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन कराने में विफल होते हैं तो संस्थान द्वारा किये गये समस्त कार्य/वित्तीय आहरण को अनियमित घोषित करते हुए संस्थान की सम्बद्धता समाप्ति करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करा दी जाएगी।

जिसका समस्त उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि—

01. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव कुलसचिव, कुलसचिव जी को सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
05. समस्त महाविद्यालय/संस्थानों को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)